

आदेश ब इजलारा प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या :- 660/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
बैंक ऑफ इंडिया, प्लॉट नम्बर 102, 103, 123 पण्डित टी. एन. मिश्रा मार्ग, मानसरोवर मेट्रो स्टेशन
के पास, सन्तोष नगर, निर्माण नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती ओमलता शर्मा पत्नी श्री श्यामलाल शर्मा,
2. श्री श्यामलाल शर्मा पुत्र श्री मोतीराम शर्मा,
पता :- प्लॉट नम्बर 14-ए, मोहन वाटिका, कालवाड रोड, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपरिर्धत :- श्री सत्येन्द्र प्रसाद खोरानियों, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 03.07.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13-10-2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती ओमलता शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 14-ए, (सब डिवीजन) मोहन वाटिका, बडारामा, जयपुर क्षेत्रफल 66.66 वर्गगज को बन्धक रख कर 10,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.10.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 10,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 9,17,087.67/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 17.10.2022 को अधिनियम

प्र
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर



की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का विस्तृत संरक्षा को जवाब दिया गया और जिराफा निरंतरण प्रार्थी विविध संरक्षा द्वारा किया जा चुका है। अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संरक्षा को बकाया ऋण शशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। शशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संरक्षा को बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संरक्षा के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भीतिक कब्जा दिनांक 03.07.2023 को प्रपट्ट प्रावधान है। धारा-14 के प्रावधान पत्र के सम्बन्ध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संरक्षा के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती ओमलता शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति वर्डॉट नम्बर 14-ए, (सब डिवीजन) मोहन यादिका, बहारामा, जयपुर क्षेत्रफल 88.88 वर्गगज का भीतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संरक्षा द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते हैं।

5. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संरक्षा को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संरक्षा को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट सिम्बलाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर लिखित/कथन हो।



दिनांक 03.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर